उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो0– गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404

Email-soexamthree@gmail.com

01334-244143
01334-244282 (F)
Mob : 7060002410

संख्या : 41/06/E-3/RO(DR)/2013-14 दिनांक : 22 नवम्बर, 2018

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (मुख्य) परीक्षा–2016 का परिणाम विज्ञप्ति संख्या 115/65/गोपन/आर0ओ0–ए0आर0ओ0/2016–17, दिनांक 27.09.2018 द्वारा घोषित किया गया है। उक्त अर्हकारी परीक्षा के पूर्व समस्त अभ्यर्थियों के अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, सेवायोजन पंजीयन, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों का मूल अभिलेखों से मिलान/परीक्षण हेतु विज्ञप्ति संख्या 28/06/E-3/RO(DR)/2013-14 दिनांक 17.10.2018 प्रकाशित की गयी थी। उक्त विज्ञप्ति के क्रम में दिनांक 22.10.2018 से 19.11.2018 तक अभिलेखों के सत्यापन/परीक्षण का कार्य सम्पन्न किया गया। उक्त प्रक्रिया में निम्नलिखित अभ्यर्थी अभिलेखों के सत्यापन/परीक्षण हेतु आयोग में उपस्थित नहीं हुए है। अतः मा0 आयोग द्वारा उक्त अभिलेख परीक्षण में उपस्थित न हो सके अभ्यर्थियों को पुनः अभिलेख परीक्षण हेतु एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अभ्यर्थी **निम्नलिखित तालिका के अन्त में प्रदत्त दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए, तालिका में निर्धारित तिथि व समय के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें :–**

अभिलेख परीक्षण की तिथि – 28 नवम्बर, 2018 (बुधवार)

	अनुक्रमांक									
पूर्वाह्न 09:30 बजे से प्रारम्भ	800111	802795	803003	804115	804422	806027	806287	806592	808687	809724
	810515	810771	811680	812210	812452	812643	813457	813563	813571	813637
	813864	814902	816090	817000	818786	819114	819715	821269	821534	821888

अभिलेख परीक्षण की तिथि – 29 नवम्बर, 2018 (बृहस्पतिवार)

	अनुक्रमांक									
पूर्वाह्न 09:30 बजे से प्रारम्भ	822284	822403	822912	823499	824253	826410	826457	827304	828077	833025
	834619	835370	836617	839089	839363	841111	842336	843918	845093	846680
	848774	851422	851540	851701	856403	857830	858186	858583	860096	860532

नोट– 01. इस विज्ञप्ति के साथ आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र भी अपलोड किये गए हैः– (क) विस्तृत आवेदन–पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या–02) (ख) प्रमाणीकरण–प्रपत्र (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या–03) एवं (ग) देशना–पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या–04)। अभ्यर्थी उक्त प्रपत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर लें एवं उसे पूर्ण रूप से भरते हुए, अभिलेखों के परीक्षण/मिलान की तिथि को आयोग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

02. अभ्यर्थी अभिलेखों के परीक्षण/मिलान हेतु निर्धारित तिथि को निम्नलिखित अभिलेख मूल रूप में आयोग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :–

(I) हाईस्कूल अंक–तालिका एवं प्रमाण पत्र।

(II) इण्टरमीडिएट अंक–तालिका एवं प्रमाण पत्र।
(III) स्नातक अंक–तालिका (समस्त वर्षों / समस्त सेमेस्टर की)।
(IV) स्नातक उपाधि।
(V) अधिमानी अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
(VI) आरक्षण हेतु जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।
(VII) अधिवास प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।
(VIII) डिस्चार्ज प्रमाण पत्र (पूर्व सैनिक अभ्यर्थी हेतु)।
(IX) विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग अभ्यर्थी हेतु)।
(X) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी हेतु)।
(XI) उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पूर्व सैनिकों हेतु जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय का पंजीयन प्रमाण, जो ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 26.04.2016 तक वैध हो।
(XII) ऑनलाइन आवेदन की तिथि को अभ्यर्थी जिस विभाग में कार्यरत थे, वहां से जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
(XIII) यदि अभ्यर्थी के अभिलेखों में नाम / पिता / माता के नाम में भिन्नता हो, तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र।

** (आरक्षण हेतु प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु निर्गत होना चाहिए तथा यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 26.04.2016 से 01 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।)*

03. अभिलेखों के मिलान / परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार उल्लिखित अभिलेखों की मूल प्रति आयोग में दिखानी होगी, जिसमें विफल रहने पर अभ्यर्थी को चयन के आगामी चरण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा परीक्षा से अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।

04. अभिलेखों के परीक्षण / मिलान हेतु निर्धारित तिथि को उपरोक्त बिन्दु संख्या 02 में उल्लिखित अभिलेखों की छायाप्रति का 01 स्वप्रमाणित सेट तथा 02 स्वप्रमाणित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

05. उपरोक्त तालिका में अंकित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों के अभिलेखों में कमियां पायी गयी है। उक्त अभ्यर्थी कार्यालय ज्ञाप संख्या 27/06/E-3/RO(DR)/2013-14 दिनांक 27.10.2018 का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें तथा अपने अनुक्रमांक के सम्मुख अंकित अभिलेख को, अभिलेखों के मिलान / परीक्षण की तिथि को आयोग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें विफल रहने पर अभ्यर्थी को चयन के आगामी चरण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा परीक्षा से अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।

06. किसी भी अभ्यर्थी को अभिलेखों के मिलान / परीक्षण से छूट प्रदान नहीं की जाएगी। जो अभ्यर्थी अभिलेखों के मिलान / परीक्षण हेतु नियत तिथि व समय पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में उपस्थित नहीं होगें, उनको चयन के आगामी चरण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा परीक्षा से अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।

07. विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

08. आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्व है।

22.11.2018

(पी0सी0डंडरियाल)
परीक्षा नियन्त्रक।